न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।
उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

UPST010054322026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1801/2026

सीताराम निषाद पुत्र रामलवट निषाद, निवासी ग्राम सोनावां, थाना चांदा, जनपद सुलतानपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ0प्र0 .....विपक्षी/अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या 200/2022,
धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं
3(1)(द), 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना चांदा, जिला–सुलतानपुर।

दिनांक 15.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त सीताराम निषाद की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 10.05.2023 को लगभग 8:30 बजे मवेशियों द्वारा उसकी फसल चराए जाने का विरोध करने पर विपक्षीगण संगम, सीताराम निषाद तथा बरखण्डी पुत्र सीताराम सहित अन्य लोगों ने मिलकर वादिनी को लाठी, लात एवं घूंसों से मारपीट की, भद्दी–भद्दी गालियाँ दीं तथा जान से मारने की धमकी दी। बीच–बचाव करने आई वादिनी की बहन प्रमिला के साथ भी मारपीट की गई।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष है और उन्हे गंलत ढंग से उक्त मुकदमें में फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई कारण प्रदर्शित नहीं किया गया है। बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता व प्रथम सूचना रिपोर्ट में काफी विरोधाभाष है। इन्हीं कथनों आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. वादिनी मुकदमा को नोटिस का तामिला प्राप्त है बहस के दौरान वादिनी मुकदमा न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आयी।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) की ओर से जमानत का विरोध किया गया और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष (फौजदारी) लोक अभियोजक के तर्कों को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त, अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ नामित है। अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा व उसकी बहन को को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए, मारने–पीटने, भद्दी–भद्दी गालियाँ देने व जानमाल की धमकी दिये जाने का अभियोग है। चोटहिल की आघात आख्या पत्रावली में संलग्न है। चिकित्सक की राय में चोटहिल को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई भी दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर हैं। उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। गवाहों को डराये/धमकाये जाने की कोई युक्तियुक्त संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में वाद के गुण–दोष पर पर अन्य कोई टिप्पणी किए बगैर, अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सीताराम निषाद द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 30,000/–रू की एक प्रतिभू तथा समान धनराशि के निजी बंधपत्र न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. प्रार्थी/अभियुक्त अध्याय 33 दण्ड प्रक्रिया संहिता/35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त उस मामलें के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

दिनांक 15.06.2026 ह0

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट,
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

(स्टेनो सुधीर सिंह)